प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिलाः **A.C.B O.P. Alwar-1st, Alwar** थानाः **C.P.S, A.C.B. Jaipur** वर्ष 2023

प्र.ई.रि.सं......273.... दिनांक ..15-10-2023

2.–(1) अधिनियमः भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा 7

(2) अधिनियमः भारतीय दण्ड संहिता धारा........

(3) अधिनियम................................ धारायें..................................

(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या....263.......समय.........9:30P.M

(ब) अपराध के घटने का दिनः शनिवार दिनांक 14/10/2023, समय 12.48 पी.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक –शुक्रवार दिनांक 13/10/2023, समय 4.30 पी.एम.

4.–सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः दक्षिण दूरी करीब 02 किमी., ए.सी.बी., चौकी अलवर सें

(ब) पताः– **केन्द्रीय कारागृह अलवर की बैरिक/ कोटडी नं. 06।**

बीट संख्या .... जरायमदेही सं........

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं, तों पुलिस थाना ....जिला..........

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम :– श्री मनोज कुमार सैनी (ब) पिता का नाम :– श्री कमलेश कुमार सैनी

(स) जन्म तिथि :– उम्र 35 साल (द) राष्ट्रीयता :– भारतीय

(य)पासपोर्ट संख्या......................जारी होने की तिथि......................जारी होने की जगह

(र)व्यवसायः–

(ल)पताः– निवासी वार्ड नं0 1, अशोक नगर, बगड, पुलिस थाना बगड, तहसील व जिला झुन्झुनू, हाल निवासी प्लाट नं0 6, टी0टी0 नारायणा, नारायण विहार, मानसरोवर, जयपुर, पुलिस थाना मानसरोवर, जयपुर

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

श्री रामवतार शर्मा पुत्र स्व. श्री हजारी लाल शर्मा, उम्र 55 साल, निवासी ग्राम मालूताना, पुलिस थाना व तहसील थानागाजी जिला अलवर हाल मुख्य प्रहरी नं. 1514 केन्द्रीय कारागृह अलवर

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):–

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्यः– **20,000/–रूपयें ट्रेप राशि**

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)...

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 13.10.2023 को कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर पर श्री मनोज कुमार सैनी पुत्र श्री कमलेश कुमार सैनी, जाति माली, उम्र 35 साल, निवासी वार्ड नं0 1, अशोक नगर, बगड, पुलिस थाना बगड, तहसील व जिला झुन्झुनू, हाल निवासी प्लाट नं0 6, टी0टी0 नारायणा, नारायण विहार, मानसरोवर, जयपुर, पुलिस थाना मानसरोवर, जयपुर ने उपस्थित होकर श्री पीयूष दीक्षित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय कि पेश की थी, कि " सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो अलवर। विषयः– अलवर सेन्ट्रेल जेल मे तैनात जेलर सुमेर सिंह व मुख्य प्रहरी रामवतार शर्मा को रिश्वत लेते पकडवाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मेरा दोस्त श्री सुरेश कुमार यादव पुत्र श्री जगमाल यादव, निवासी रैवाना, पुलिस थाना व तहसील नीमराना, जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड, माह जुलाई 2022 से सेन्ट्रल जेल अलवर में बन्द है। मेरे दोस्त श्री सुरेश कुमार से मिलने के लिये मैं करीब 10–15 दिन पहले अलवर सेन्ट्रल जेल पर आया तो वहा पर मेरा पूर्व से परिचित श्री रामवतार शर्मा, मुख्य प्रहरी मिला, जिससे मैंने मेरे दोस्त सुरेश से मिलने के लिए बात किया तो उसने मुझे जेल के पिछले वाले गेट से मेरे दोस्त से मिलवाया। उक्त मुलाकात के समय मेरे दोस्त श्री सुरेश कुमार यादव ने मुझे बताया कि जेल में सुमेर सिंह जेलर व रामवतार चीफ बहुत परेशान करते है तथा पैंसे की मांग करते है। आप उनसे बात कर लेना। इस पर मैंने रामवतार से बात की तो उसने मुझे सुमेर सिंह जेलर से मिलवाया तो सुमेर सिंह जेलर ने मुझे कहा कि यहा पर तो सेवा पानी करनी पडती है, आप और बाते रामवतार से कर लेना इस पर रामवतार मुख्य प्रहरी ने मुझे सुमेर सिंह जेलर के सामने ही जेल में बन्द मेरे दोस्त सुरेश को परेशान नही करने की एवज में 20 हजार रू0 देने के लिए कहा। इसके बाद मेरे पास मेरे मोबाईल पर मोबाईल नं0 8233243340 से कॉल आई तो मेरे दोस्त सुरेश ने बात करके बताया कि सुमेर सिंह जेलर व रामवतार चीफ मेरे साथ बन्द अन्य कैदियों से भी 10–10 हजार रू0 वसूल कर मेरे खाते में डलवाने की कह रहे है। इस पर दिनांक 07.10.2023 को मैंने अपने मोबाईल से रामवतार शर्मा मुख्य प्रहरी के मोबाईल नं0 8949340807

पर बात की तो उसने मुझे मेरे दोस्त सुरेश व सुरेश द्वारा बताये गये अन्य कैदियों के कुल 70000 रू0 देने के लिए कहा। उसके बाद रामवतार शर्मा मुख्य प्रहरी मेरे से मोबाईल पर बार–बार बात कर सुमेर सिह जेलर के लिए व अपने लिए 70 हजार रू0 की मांग कर रहा है तथा मेरे दोस्त को परेशान कर रहे है। जिसके बारे में मेरे दोस्त सुरेश कुमार ने मोबाईल नं0 9468971956 से मेरे मोबाईल पर बात कर मुझे बताया। मैं सुमेर सिंह जेलर व रामवतार शर्मा मुख्य प्रहरी, सेन्ट्रल जेल अलवर को रिश्वत नही देकर उन्हे मेरे से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। हस्ताक्षर मनोज कुमार प्रार्थी श्री मनोज कुमार सैनी पुत्र श्री कमलेश कुमार सैनी, निवासी वार्ड नं0 1, अशोक नगर, बगड, तह. व जिला झुन्झुनू, हाल निवासी प्लाट नं0 6, टी0टी0 नारायणा, नारायण विहार, मानसरोवर, जयपुर, पुलिस थाना मानसरोवर, जयपुर। मो. 7665999955।"

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 13.10.2023 को समय 4.30 पी0एम पर श्री पीयूष दीक्षित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर ने मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके सामने बैठे हुये व्यक्ति का परिचय श्री मनोज कुमार सैनी, परिवादी के रूप में करवाते हुये परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी द्वारा प्रस्तुत उक्त लिखित प्रार्थना पत्र मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी पुत्र श्री कमलेश कुमार सैनी, जाति माली, उम्र 35 साल, निवासी वार्ड नं0 1, अशोक नगर, बगड, पुलिस थाना बगड, तहसील व जिला झुन्झुनू, हाल निवासी प्लाट नं0 6, टी0टी0 नारायणा, नारायण विहार, मानसरोवर, जयपुर, पुलिस थाना मानसरोवर, जयपुर द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि " मेरा दोस्त श्री सुरेश कुमार यादव पुत्र श्री जगमाल यादव, निवासी रैवाना, पुलिस थाना व तहसील नीमराना, जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड, माह जुलाई 2022 से सेन्ट्रल जेल अलवर में बन्द है। मेरे दोस्त श्री सुरेश कुमार से मिलने के लिये मैं करीब 10–15 दिन पहले अलवर सेन्ट्रल जेल पर आया तो वहा पर मेरा पूर्व से परिचित श्री रामवतार शर्मा, मुख्य प्रहरी मिला, जिससे मैंने मेरे दोस्त सुरेश से मिलने के लिए बात किया तो उसने मुझे जेल के पिछले वाले गेट से मेरे दोस्त से मिलवाया। उक्त मुलाकात के समय मेरे दोस्त श्री सुरेश कुमार यादव ने मुझे बताया कि जेल में सुमेर सिंह जेलर व रामवतार चीफ बहुत परेशान करते है तथा पैसे की मांग करते है। आप उनसे बात कर लेना। इस पर मैंने रामवतार से बात की तो उसने मुझे सुमेर सिंह जेलर से मिलवाया तो सुमेर सिंह जेलर ने मुझे कहा कि यहा पर तो सेवा पानी करनी पडती है, आप और बाते रामवतार से कर लेना इस पर रामवतार मुख्य प्रहरी ने मुझे सुमेर सिंह जेलर के सामने ही जेल में बन्द मेरे दोस्त सुरेश को परेशान नही करने की एवज में 20 हजार रू0 देने के लिए कहा। इसके बाद मेरे पास मेरे मोबाईल पर मोबाईल नं0 8233243340 से कॉल आई तो मेरे दोस्त सुरेश ने बात करके बताया कि सुमेर सिंह जेलर व रामवतार चीफ मेरे साथ बन्द अन्य कैदियों से भी 10–10 हजार रू0 वसूल कर मेरे खाते में डलवाने की कह रहे है। इस पर दिनांक 07.10.2023 को मैंने अपने मोबाईल से रामवतार शर्मा मुख्य प्रहरी के मोबाईल नं0 8949340807 पर बात की तो उसने मुझे मेरे दोस्त सुरेश व सुरेश द्वारा बताये गये अन्य कैदियों के कुल 70000 रू0 देने के लिए कहा। उसके बाद रामवतार शर्मा मुख्य प्रहरी मेरे से मोबाईल पर बार–बार बात कर सुमेर सिह जेलर के लिए व अपने लिए 70 हजार रू0 की मांग कर रहा है तथा मेरे दोस्त को परेशान कर रहे है। जिसके बारे में मेरे दोस्त सुरेश कुमार ने मोबाईल नं0 9468971956 से मेरे मोबाईल पर बात कर मुझे बताया। मैं सुमेर सिंह जेलर व रामवतार शर्मा मुख्य प्रहरी, सेन्ट्रल जेल अलवर को रिश्वत नही देकर उन्हे मेरे से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।" परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी श्री सुमेर सिंह, जेलर व श्री रामवतार शर्मा मुख्य प्रहरी, सेन्ट्रल जेल, अलवर से कोई रंजिश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन–देन भी बकाया नही है। श्री मनोज कुमार सैनी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं के द्वारा लिखा जाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा प्रार्थना पत्र में लिखे हुये तथ्य सही होना बताया। दौराने पूछताछ परिवादी ने अपनी पहचान स्वरूप अपने आधार कार्ड की छायाप्रति पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया, जिसको संलग्न पत्रावली किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन–देन का पाया जाने पर दिनांक 13.10.2023 को समय 05.00 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक ने कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर डिजिटल वाईस रिकार्डर परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी के समक्ष श्री महेश कुमार कानि0 462 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी एवं श्री महेश कुमार कानि. 462 को आवश्यक हिदायत देकर रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु उक्त दोनो को केन्द्रीय कारागृह, अलवर जाने हेतु रवाना किया गया था। बाद रिश्वत मांग सत्यापन के समय 07.40 पी0एम0 पर श्री महेश कुमार कानि0 462 मय परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी के ब्यूरों कार्यालय में मन पुलिस निरीक्षक

के समक्ष उपस्थित आये तथा श्री महेश कुमार कानि0 462 ने रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी ने बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं आपके कर्मचारी श्री महेश कुमार से ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर ब्यूरों कार्यालय में ही चालू करवाकर प्राप्त कर अपने साथ लेकर मैं व आपका कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 आपके कार्यालय से रवाना होकर सेन्ट्रल जेल अलवर के सामने पहुंचे, जहा पर आपका कर्मचारी श्री महेश कुमार तो गाडी से उतर गया और मैं जेल परिसर के अन्दर चला गया, जहा पर जेल के सामने श्री रामवतार शर्मा मुख्य प्रहरी मिला, जिसने मेरे को अपने साथ लेकर जेल के पीछे के गेट से मुझे जेल के अन्दर ले जाकर मेरे दोस्त श्री सुरेश कुमार यादव से मिलवाया, तब मेरे दोस्त श्री सुरेश कुमार यादव ने मेरे से श्री रामवतार शर्मा मुख्य प्रहरी के सामने कहा कि भाई इनको 70 हजार रू0 दे देना बहुत परेशान करते है। इसके बाद मैं व श्री रामवतार शर्मा मुख्य प्रहरी जेल से बाहर आ गये तथा रामवतार शर्मा मुख्य प्रहरी ने मुझे पैसे देने के लिये कहा तो मैंने उनको आधा–पौन घन्टे में पैसे लेकर आने की कहकर जेल परिसर से बाहर रोड पर आपके कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 के पास समय करीब 05.45 पी0एम0 पर आ गया और टेप रिकार्डर श्री महेश कुमार कानि0 को दे दिया, जिसको महेश कुमार कानि0 ने बन्द कर अपने पास रख लिया। इसके बाद मैंने उक्त तथ्यों के बारे में श्री महेश कुमार कानि0 को बताया तथा श्री महेश कुमार कानि0 को मैंने यह भी बताया कि मैं, श्री रामवतार शर्मा, मुख्य प्रहरी के पास अभी वापस जाउंगा और उसको यह बताकर आउंगा कि अभी पैसे की व्यवस्था नही हुई है। इसके बाद मैं व आपका कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 जेल परिसर के आस–पास ही रोड पर रूके रहे। इसके बाद समय करीब 07.05 पी0एम0 पर श्री महेश कुमार कानि0 ने ब्यूरों का उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर मुझे दिया, जिसको में अपने साथ लेकर जेल परिसर अलवर के अन्दर गया, तो श्री रामवतार शर्मा, मुख्य प्रहरी मुझे बेरीकों के सामने मौजूद मिला, और वह मुझे साथ लेकर अपने बैरिक ले गया। मैंने, श्री रामवतार शर्मा मुख्य प्रहरी को अपने पास से 5000 रू0 देते हुये कहा कि साहब 5000 रू0 तो यह लो और 65 हजार रू0 सुबह फोन – पे कर दुगा या नकद दे दूंगा, तब श्री रामवतार शर्मा, मुख्य प्रहरी ने मेरे से कहा कि पूरे 70 हजार रू0 एक साथ ही देना, जेलर को एक साथ ही देने है वह मुझे अभी इसी लिए बुला रहा है। सुबह जरूर दे देना, तब मैंने उससे कहा कि सुबह 10–11 बजे तक दे दूंगा। मेरे व श्री रामवतार शर्मा मुख्य प्रहरी के मध्य रिश्वत मांग के कम में जो वार्ता हुई, उन सभी बातों को मैंने ए0सी0बी के उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। इसके बाद मैं, श्री रामवतार शर्मा मुख्य प्रहरी के पास से आपके कर्मचारी श्री महेश कुमार कानि0 के पास समय करीब 7.22 पी0एम0 आया और अपने पास से ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर निकाल कर श्री महेश कुमार कानि0 को दे दिया था, जिसको महेश कुमार कानि0 ने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था और हम वहा से रवाना होकर आपके पास ब्यूरों कार्यालय आ गये। श्री महेश कुमार कानि0 ने भी परिवादी द्वारा बताये गये उक्त कथनों की ताईद की। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक ने श्री महेश कुमार कानि0 द्वारा सुपुर्द टेपरिकार्डर को चलाकर सुना तो उक्त वार्ता में संदिग्ध आरोपी श्री रामवतार शर्मा मुख्य प्रहरी द्वारा परिवादी को जेल में बन्द परिवादी के दोस्त श्री सुरेश कुमार यादव से मिलवाना तथा जेल में बन्द श्री सुरेश कुमार यादव सहित 7 कैदियों को परेशान नही करने की एवज में 70 हजार रू0 रिश्वत की मांग श्री सुमेर सिंह जेलर के लिए व स्वयं के लिये करना तथा 70 हजार रू0 रिश्वत के दिनांक 14.10.2023 को देने के लिये कहना पाया गया तथा परिवादी द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हुई। रिकॉर्ड वार्तालाप के डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो उसमे रिकॉर्ड वार्तालाप से आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करने की पुष्ठि होने पर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को बंद करके सुरक्षित अपने कब्जे की अलमारी मे रखा जाकर लॉक बंद कर चाबी कब्जे ली गई।

अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने के कारण सहायक अभियन्ता(ए–3), जयपुर डिस्कॉम, अलवर को गोपनीय कार्यवाही हेतु दिनांक 14.10.2023 को प्रातः दो राजकीय कर्मचारी स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध करवाने हेतु पत्र जारी कर भिजवाया गया तथा साथ ही जरिये दूरभाष भी अवगत करवाया गया। साथ ही समय 08.45 पी0एम0 पर परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी को संदिग्ध आरोपीगण को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 70 हजार रू0 की व्यवस्था कर दिनांक 14.10.2023 को प्रातः 08.00 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता की हिदायत कर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया। निर्देशानुसार श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो, अलवर द्वितीय अलवर कैम्प भिवाडी को मय जाब्ता के इमदाद हेतु दिनांक 14.10.2023 को प्रातः 09.00 बजे ब्यूरो कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर में उपस्थित होने हेतु जरिये दूरभाष अवगत करवाया गया।

दिनांक 14.10.2023 को समय 08.00 ए0एम0 पर कार्यालय सहायक अभियन्ता (ए–3), जयपुर डिस्कॉम, अलवर से तलब शुदा गवाह श्री मनोज कुमार, वाणिज्यिक सहायक द्वितीय एवं श्री वैभव उपाध्याय, वाणिज्यिक सहायक प्रथम, कार्यालय सहायक अभियन्ता (ए–3), जयपुर डिस्कॉम, अलवर, ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। उक्त दोनों गवाहान से मन पुलिस निरीक्षक द्वारा आपसी परिचय किया जाकर उक्त दोनों को कार्यालय में ही बैठने की हिदायत दी गई। इसी दौरान समय 08.30 ए0एम0 पर परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया और

बताया कि उसके पास संदिग्ध आरोपीगण को उनकी मांग के अनुरूप दी जाने वाली रिश्वत राशि 70 हजार की व्यवस्था नही होकर केवल 20 हजार रू0 रिश्वत राशि की ही व्यवस्था हो पाई है, जो वह अपने साथ लेकर आना तथा शेष राशि 50 हजार रू0 के लिए ऑन लाईन या फोन पे करने के लिये संदिग्ध आरोपीगण से कहेगा। तत्पश्चात समय 08.45 ए0एम0 पर पूर्व से कार्यालय में मौजूद दोनों गवाहान श्री वैभव उपाध्याय, वाणिज्यिक सहायक प्रथम एवं श्री मनोज कुमार, वाणिज्यिक सहायक द्वितीय, कार्यालय सहायक अभियन्ता–ए–3, (पवस), जयपुर डिस्कॉम, अलवर को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी का आपसी परिचय दोनों गवाहान से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी द्वारा दिनांक 13.10.2023 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 09.00 ए.एम. पर उक्त दोनो गवाहान एवं परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी की उपस्थिति में परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी तथा संदिग्ध आरोपी श्री रामवतार शर्मा, मुख्य प्रहरी, केन्द्रीय कारागृह, अलवर के मध्य दिनांक 13.10.2023 को रिश्वती मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी के लॉक से निकालकर, उसे चालू कर दोनों गवाहान को रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं में रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्ताओं के मुख्य अंश सुनाये गये, जिसमें आरोपी श्री रामवतार शर्मा, मुख्य प्रहरी, केन्द्रीय कारागृह, अलवर द्वारा परिवादी से केन्द्रीय कारागृह अलवर में बन्द उसके दोस्त श्री सुरेश कुमार यादव को परेशान नही करने की एवज में अपने स्वयं के लिये एवं जेलर के लिये 70 हजार रू0 रिश्वत की मांग करना पाया गया। चूंकि आरोपीगण के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही अभी की जानी है तथा रिश्वत मांग सत्यापन के समय की उक्त रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करने में समय अधिक लगेगा। अतः समय अभाव के कारण रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार नही की जा सकती। इसलिए रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सुरक्षित अपने कब्जे में लिया गया। समय 09.45 ए0एम0 पर तलबशुदा श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस ए0सी0बी0 चौकी, अलवर द्वितीय अलवर कैम्प भिवाडी मय श्री रामजीत कानि0 209, श्री राजवीर कानि0 443 के मय वाहन सरकारी मय चालक श्री महेश शर्मा के गोपनीय कार्यवाही में सहयोग हेतु ब्यूरों कार्यालय अलवर प्रथम, अलवर पर उपस्थित आये जिन्हे कार्यालय मे मुकीम होने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात उसी रोज दिनांक 14.10.2023 को समय 10.00 ए0एम0 पर दोनो गवाहान के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी से आरोपी को बतौर रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20 हजार रूपये निकाल कर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये और बताया कि मेरे पास आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20 हजार रू0 की ही व्यवस्था हुई है तथा शेष राशि 50 हजार रू0 मैं ऑनलाईन या फोन–पे करने के लिये आरोपी से कह दूंगा। इसलिए वे मेरे से 20 हजार रू0 रिश्वत ले लेगें। इस पर परिवादी द्वारा पेश किये गये रिश्वत राशि के बीस हजार रूपये के नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर उक्त नोटों के नम्बर मन् पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटों के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। श्रीमती सुनीता महिला हैड कानि0 148 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 20,000/–रूपये के नोटो को रखकर उक्त नोटों पर श्रीमती सुनिता महिला हैड कानि0 148 से भली प्रकार से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी की जामा तलाशी गवाह श्री वैभव उपाध्याय से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी आपत्तिजनक दस्तावेज/ राशि/वस्तु नही रहने दी गई। केवल उसका मोबाईल व गाडी की चॉबी ही रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे नम्बरी नोट 20,000/– रूपये को श्रीमती सुनीता महिला हैड कानि0 148 द्वारा परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखवाये गये। श्रीमती सुनिता महिला हैड कानि0 148 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास में श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50 से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्रीमती सुनीता महिला हैड कानि0 201 की फिनोफ्थलीन लगे हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी व दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी कर्मचारी उक्त पाऊडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को अपने हाथों से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को कार्यालय के बाहर

फिंकवाया गया व डिस्पोजेबल ग्लास को जलावाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर या मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस–पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन–देन को देखने का प्रयास करें। तत्पश्चात श्रीमती सुनीता महिला हैड कानि0 148 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मन् पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द ने भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैपबाक्स में रखी खाली शीशीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। वक्त लेन–देन के समय आरोपित से होने वाली वार्ता को टेप करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की सामने की बगल की बांयी जेब में रखवाया गया। जिसकी पृथक से फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात समय 10.45 ए0एम पर मन पुलिस निरीक्षक प्रेमचन्द, मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मनोज कुमार, श्री वैभव उपाध्याय एवं ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्य सर्वश्री भौरेलाल हैड कानि0 33, हरीश चन्द कानि0 503, नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50, भास्कर हैड कानि0, सुण्डाराम हैड कानि0 मय ट्रैप बॉक्स मय लैपटॉप व प्रिन्टर साथ लेकर एक सरकारी वाहन बोलेरो व एक प्राईवेट वाहन से एवं परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी एवं श्री महेश कुमार कानि0 462 को परिवादी की निजी कार से तथा श्री परमेश्वर लाल उप अधीक्षक पुलिस को उनके हमराही जाब्ता सहित सरकारी वाहन टवेरा से हमराह लेकर एसीबी कार्यालय अलवर से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही केन्द्रीय कारागृह, अलवर के लिये रवाना हुआ तथा श्रीमती सुनिता महिला कानि0 201 को कार्यालय में ही छोडा गया। समय 11.00 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा अलवर शहर स्थित केन्द्रीय कारागृह, अलवर के पास पहुंचा, जहां पर चारों वाहनों को साईड में रूकवाकर खडा करवाया तथा परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी के पास मौजूद सुपुर्दशुदा ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकार्डर को श्री महेश कुमार कानि0 से समय 11.02 ए0एम0 पर चालू करवाकर परिवादी को सुपुर्द कर परिवादी को उसकी कार से आरोपीगण को रिश्वत राशि देने के लिए केन्द्रीय कारागृह अलवर के अन्दर भेजा गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के वाहनों में ही बैठे रहकर परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगा। समय करीब 11.18 ए0एम0 पर परिवादी बिना ईशारा किये अपनी कार से मेरे पास आया और बताया कि जेल मे अभी जिला प्रशासन के अधिकारियों की चैकिंग चल रही है तथा आरोपीगण जेल के अन्दर है। चैकिंग के बाद ही जेल से बाहर आयेंगे। तत्पश्चात परिवादी को जेल परिसर के अन्दर ही आरोपीगण के जेल से बाहर आने तक रूकने की हिदायत देकर श्री महेश कुमार कानि0 462 से ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर परिवादी को देकर आरोपीगण के पास जाने के लिये रवाना किया गया तथा ट्रेप पार्टी यथावत अपनी पहचान छुपाते हुये परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम रही। समय 11.38 ए0एम0 पर परिवादी बिना निर्धारित ईशारा किये अपनी कार से मन पुलिस निरीक्षक के पास आया और बताया कि साहब जेल में बाहर के अधिकारी चैकिंग के लिये आये हुये है और जेल की चैकिग में समय अधिक लगेगा तथा जेल परिसर में प्रशासनिक अधिकारियो की व पुलिस अधिकारियों की कई गाडी खडी हुई और कई पुलिस वाले भी खडे है तथा किसी को शक नही हो इसलिए में वहा से आ गया। चैंकिंग के बाद उक्त गाडिया बाहर जाने के उपरान्त ही मैं आरोपीगण के पास जाउंगा। इसके बाद समस्त ट्रेप पार्टी मौके अनुसार आस–पास वही पर मुकिम रही। इसके करीब एक घन्टे पश्चात जेल परिसर के पुलिस / प्रशासनिक अधिकारियों की 6–7 गाडिया बाहर निकल कर गई। तत्पश्चात समय 12.38 पी. एम0 पर श्री महेश कुमार कानि0 462 से ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर परिवादी को देकर आरोपीगण के पास जेल परिसर के अन्दर जाने के लिये उसकी कार से रवाना किया गया तथा श्री परमेश्वर लाल उप अधीक्षक पुलिस को हमराही जाब्ता सहित अपनी सरकारी टवेरा गाडी में इमदाद हेतु यथावत मुकिम रहने बाबत अवगत करवाकर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं ए0सी0बी0 स्टाफ सदस्यों सहित एक सरकारी वाहन बोलेरो व एक प्राईवेट वाहन से परिवादी की गाडी पर निगरानी रखते हुये उसके पीछे–पीछे रवाना होकर जेल परिसर के अन्दर गया। परिवादी अपनी गाडी को जेल परिसर में बनी बैरिकों के सामने रोककर खडा हो गया और जेल की तरफ से बैरिकों की तरफ आते हुए एक व्यक्ति के साथ अपनी गाडी से उतरकर एक बैरीक के अन्दर चले गये तथा मन पुलिस निरीक्षक दोनों वाहनों को जेल परिसर में बैरिकों के सामने रोड पर खडा करवाकर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ।

समय 12.43 पी.एम. पर परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी ने केन्द्रीय कारागाह अलवर मे बने स्टाफ आवास बैरिक/कोटडी नं. 06 से रिश्वत राशि देने का मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन नं. 8854010101 पर अपने मोबाईल नं. 7665999955 से कॉल करके निर्धारित ईशारा किया। परिवादी का उक्त निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक उपरोक्त दोनो गवाहान एवं ब्यूरो टीम के

समस्त सदस्यो को हमराह लेकर परिवादी के पास केन्द्रीय कारागाह अलवर मे बने स्टाफ आवास बैरिक/कोटडी नं. 06 पर पहुँचा तो उक्त बैरिक/कोटडी मे बिछी एक चारपाई पर एक सादा वस्त्र पहने हुये एक व्यक्ति बैठा हुआ था तथा उसके सामने बिछी दूसरी चारपाई पर बिछी बैडसीट पर काले रंग के वॉकी टॉकी के निचे 500–500 रूपये के नोट रखे हुये थे।

इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से ब्यूरो का राजकीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त करके बंद कर अपने कब्जे लिया। तत्पश्चात परिवादी ने चारपाई पर बैठे हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा करके बताया कि साहब यही रामवतार शर्मा चीफ साहब है, जिन्होने अभी अभी मेरे से 20 हजार रूपये नकद अपने बायें हाथ से लिये है तथा आपको हमारी तरफ आते हुये देखकर इन्होने नोटो को अपने बांये हाथ से चारपाई पर बिछी बैडसीट पर रखकर उन नोटो पर अपना वॉकी टॉकी रखा है।

इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं हमराहियान उक्त दोनो गवाहान एवं ब्यूरो टीम का परिचय देकर उसको अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराते हुए उससे उसका परिचय पूछा तो उसके चेहरे की हवाईयां उड गयी और वह गिडगिडाते हुये कहने लगा की साहब गलती हो गई माफ कर दो। इसने मुझे विश्वास मे मरवा दिया। इस पर उक्त व्यक्ति को तसल्ली देकर उससे उसका पुनः परिचय पूछा तो उसने अपना नाम–पता श्री रामवतार शर्मा पुत्र स्व. श्री हजारी लाल शर्मा, उम्र 55 साल, निवासी ग्राम मालूताना, तहसील एवं पुलिस थाना – थानागाजी जिला अलवर हाल मुख्य प्रहरी नं. 1514 केन्द्रीय कारागाह अलवर होना बताया। जिससे परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी से कल दिनांक 13.10.2023 को मांग सत्यापन के दौरान मांगी गई रिश्वत राशि एवं उसी के क्रम मे अभी गृहण की गई बीस हजार रूपये की रिश्वत राशि के बारे मे पूछा तो उसने बताया कि " यह मनोज सैनी कल मेरे पास जेल पर आया था, तब इसने अपने मिलने वाला सुरेश कुमार यादव नामक व्यक्ति को बंद होना और उससे मिलने के लिये बातचीत की थी। मै मनोज सैनी को पहले से जानता था। मनोज सैनी ने उस वक्त मुझे बताया कि सुरेश को सुमेर सिंह जेलर पैसे देने के लिये परेशान कर रहा है। इस पर मैने कहा कि मै सुमेर सिंह से बात करूंगा। इस पर मैने सुमेर सिंह जेलर से बात की तो उसने मुझे कहा कि सुरेश कुमार यादव का कोई आदमी श्री सुरेश कुमार यादव सहित सात कैदियों के कुल 70 हजार रूपये देने के लिये आयेगा। उससे पैसे ले लेना। इस पर मैने कहा कि इसका मिलने वाला मनोज सैनी आया हुआ है, जो मेरा पूर्व परिचित है। इस पर सुमेर सिंह जेलर ने मुझे कहा कि उसकी सुरेश से मुलाकात करवा देना वह सारी बाते उसको बता देगा। फिर मैने सुमेर सिंह जेलर के कहने पर इस मनोज सैनी की कैदी सुरेश कुमार यादव से कल ऑफ रिकॉर्ड मुलाकात करवाई थी। फिर मैने मनोज सैनी को शाम को सुमेर सिंह जेलर से मिलवाने के लिये कहा था। इस पर मनोज ने कहा कि मै शाम को वापस आता हूँ यह कह कर मेरे पास चला गया था। उसके बाद मनोज सैनी कल शाम को दूबारा जेल पर आया और मेरे से बातचीत की थी तब इसने मुझे कहा था कि इतने पैसो की व्यवस्था नही होगी इस पर मैने इसे कहा था कि सुमेर सिंह जेलर पूरे पैसे एक साथ ही लेगा परन्तु कोई बात नही जितने पैसों की सुबह व्यवस्था हो जाये वो तो नकद लियाना बाकी के मुझे सुमेर सिंह बतायेगा उस खाते मे ट्रांसफर करवा देना। उस समय सुमेर सिंह जेलर जेल के अन्दर होने के कारण मै इसको उससे मिला नही सका था। मैने इसे रात को अपने पास रूकने के लिये भी कहा था, परन्तु यह मेरे पास नही रूका था और यहां से चला गया था।

आज मै अभी कुछ समय पहले जेल से बाहर निकल कर अपने उक्त बैरिक/कोटडी पर खाना खाने आया था कि मुझे यह मनोज सैनी मिल गया। यह मेरे साथ बैरिक/कोटडी मे अन्दर आ गया और इसने अपने पास से बीस हजार रूपये निकाल कर मुझे यह कहते हुये देने लगा कि ये पैसे आप रखो और बाकी के मै अभी खाते मे डलवा रहा हूँ। इस पर मैने कहा कि मुझे नही चाहिये। मैने पैसे लेने से मना किया तो इसने उक्त चारपाई पर पैसे रख दिये। इस पर मैने कहा कि आप अपने पैसे ले जाओं और मै अपने बैरिक/कोटडी का गेट बंद करके बाहर निकला ही था कि इतने मे ही आप लोग आ गये। मैने मनोज सैनी से ना तो अपने लिये कोई पैसे मांगे और ना ही लिये है। मैने मनोज सैनी को सुमेर सिंह जेलर द्वारा मुझे कही गई बाते ही उसको बताई है और मनोज सैनी मुझे श्री सुमेर सिंह जेलर को देने हेतु पैसे दे रहा था।"

इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त आरोपी श्री रामवतार शर्मा को श्री सुमेर सिंह से बात करने के लिये कहा तो श्री रामवतार शर्मा ने बताया कि अभी वह जेल के अन्दर है, मै अभी बात करता हूँ। इस पर समय 1.10 पी.एम. पर श्री रामवतार शर्मा के मोबाईल नं. 8949340807 से श्री सुमेर सिंह के मोबाईल नं. 8432777788 पर साधारण कॉल करवाई गई तो उसका मोबाईल बिजी होना पाया गया। इसके बाद पुनः 1.13 पी.एम. पर साधारण कॉल करवाई तो उसने कॉल रिसीव नही किया। इसके बाद जरिये व्हाटस–ऐप कॉल करवाई तो उसका मोबाईल नेट चालू नही होने के कारण वार्ता नही हो सकी। इस पर उक्त आरोपी ने बताया कि सुमेर सिंह जेलर को मेरे खिलाफ हुई कार्यवाही के बारे मे सूचना मिलने के कारण ही उसने फोन नही उठाया है और अपना नेट बंद कर लिया है।

इस पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी ने स्वतः ही बताया कि साहब यह कुछ झूंठ बोल रहा है। यह सही है कि मै इससे पूर्व से परिचित हूँ। मेरा दोस्त सुरेश यादव वर्तमान मे जेल मे बंद है। उसको एवं उसके अलावा 06 अन्य कैदियों को इसके द्वारा एवं श्री सुमेर

सिंह जेलर द्वारा पैसे लेने के लिये परेशान किया जा रहा था। जिसके बारे मे सुरेश यादव ने मुझे बताया तो मै इस रामवतार जी से फोन पर बातचीत की तो इसने मेरे से मेरे दोस्त सुरेश कुमार को जेल मे परेशान नही करने के लिये पैसो की मांग की तथा गत शुक्रवार को शाम के 7.26 पी.एम. पर जेल मे बंद मेरे दोस्त श्री सुरेश कुमार यादव के मोबाईल नं. 8233243340 से मेरे मोबाईल नं. 7665999955 पर एक मोबाईल नं. 9079843246 धीरज नाम लिखकर फोन पे नम्बर जरिये मैसेज भेजकर उसमे फोन–पे से पैसे डलवाने को कहा था। इस पर मैने आपको इनके खिलाफ कार्यवाही करवाने हेतु कल रिपोर्ट पेश की थी। जिस पर आपने कल मुझे टेप रिकॉर्डर देकर श्री महेश कुमार के साथ इनके पास जेल पर मिलने हेतु भेजा था, तब मै कल इस रामवतार से आकर मिला तो इसने अपने स्वंय तथा श्री सुमेर सिंह जेलर के लिये मेरे दोस्त सुरेश कुमार यादव सहित अन्य 06 कैदियों को परेशान नही करने की एवज मे मेरे से 70 हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी। मैने इससे मेरे दोस्त सुरेश से मुलाकात करवाने के लिये कहा तो इसने मेरी सुरेश से मुलाकात पिछले गेट से ले जाकर करवाई थी, तब सुरेश ने इनके सामने ही मुझे सुमेर सिंह जेलर एवं इनके द्वारा परेशान करने के लिये कहा था, जिस पर मैने सुरेश के सामने ही इनको कहा था कि अब परेशान मत करना। उसके बाद इन्होने मुझे कहा था कि सुमेर सिंह जेलर को शाम को पैसे देने है। इसलिये आप पैसों की व्यवस्था करके शाम को पैसे लेकर आने के लिये कहा। जिस पर मै इनको पैसों की व्यवस्था करने लेकर आने की कहकर इनके पास से रवाना होकर वापस बाहर आकर महेश कुमार को अपने साथ लेकर आपके पास आया था। उसके बाद मै शाम को 5000 रूपये की व्यवस्था करके इनको देने के लिये लेकर इनके पास वापस आया और इनको 5000 रूपये देने लगा तो इस रामवतार ने कहा कि पूरे 70 हजार रूपये एक साथ ही देना। सुमेर सिंह जेलर मेरे से पूरे पैसे एक साथ ही लेगा। इस पर मैने इनको कहा था कि अभी इतने पैसो की व्यवस्था नही हो पायेगी। इस पर इन्होने कहा था कि सुबह जितनी पैसे हो जाये उतने कर लाना बाकी के पैसे मै बताऊंगा उस खाते मे ट्रांसफर कर देना। उक्त दोनो समय हुई वार्ताओ को मैने आपके द्वारा दिये गये टेप रिकॉर्डर मे टेप करके लाकर आपको पेश की थी। उसके बाद आज अभी कुछ देर पहले मै इनके पास आया तो ये मुझे नही मिले। मेरे द्वारा जानकारी करने पर इनका अन्दर होना ज्ञात हुआ। इस पर मैने जेल मे बंद मेरे दोस्त सुरेश यादव को उसके मोबाईल नं. 9468971956 पर फोन करके इनके बारे मे पूछा तो उसने जेल के अन्दर ही होना एवं कुछ देर मे बाहर भेजने के लिये कहा। उसके बाद ये रामवतार जी जेल के बाहर निकल कर आये और मुझे अपने साथ लेकर अपने कमरे पर चले गये। जहाँ पर मैने इनको अपनी जेब मे रखे हुये पाऊडर लगे बीस हजार रूपये निकाल कर दिये तो इन्होने नोटो को मेरे से अपने बायें हाथ मे ले लिया तथा उस वक्त ये अपने दाहिने हाथ मे वॉकी टॉकी लिये हुये थे। मैने इनको बाकी के पैसे खाते से अभी कुछ देर मे ट्रासंफर करवाने के लिये कहा। इसी दौरान मैने सुरेश कुमार यादव बंदी को भी पैसे रामवतार को देने बाबत जरिये मोबाईल फोन सूचना दी थी तथा आपको कॉल कर निर्धारित ईशारा किया था। इस पर इनको शंका हो गई तो इन्होने रूपये मुझे वापस करते हुये कहा कि यार मुझे मरवा मत देना। इस पर मैने वापस इनको पैसे देते हुये कहा कि ऐसी कोई बात नही। इस पर इन्होने वापस पैसे अपने हाथ मे ले लिये। इतने मे ही आपको आता हुआ देखकर इन्होने मेरे से लिये हुये बीस हजार रूपये के नोटो को अपने कमरे मे बिछी दूसरी चारपाई पर बिछी बैडसीट पर रखकर उन पर अपना वॉकी टॉकी रख दिया।

तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त आरोपी के निवास करने की बैरिक/कोटडी मे रखे हुये पीने के पानी मे से एक लोटा मे पानी भरवाकर मंगवाया गया। ट्रैप बाक्स से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकालकर उन्हे हाजरीन के समक्ष उक्त साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि. 50 से एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डलवाकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक गिलास के घोल में आरोपी श्री रामवतार शर्मा के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग गदमैला हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गदमैला होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा –आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R -1, R -2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी रामवतार शर्मा के बांये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ कॉंच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L -1, L - 2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। काम मे लिये उक्त दोनो प्लास्टिक पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया।

तत्पश्चात आरोपी श्री रामवतार शर्मा के आवासीय बैरिक/कोटडी मे वह जिस चारपाई पर बैठा हुआ मिला था, के सामने बिछी चारपाई पर बिछी बैड सीट पर काले रंग के वॉकी टॉकी के नीचे रखी हुई रिश्वत राशि के 500–500 रूपये के नोटो को गवाह श्री वैभव उपाध्याय से उठवाकर गिनवाये तो गवाह ने उक्त नोटो को गिनकर 500–500 रूपये के कुल 40 नोट कुल बीस हजार रूपये होना बताया। इस पर दोनो गवाहान से उक्त बरामदशुदा नोटो के नम्बरो का पूर्व की तैयार की हुई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान करवाने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का हूबहू मिलान होना बताया। इस पर बरामदशुदा नोटो को गवाह श्री वैभव उपाध्याय के पास सुरक्षित रखवाया गया।

तत्पश्चात उक्त रिश्वत राशि पर रखे हुये काले रंग के वॉकी–टॉकी जिस पर अंग्रेजी मे THINUX ऊपर की तरफ एवं नीचे की तरफ TP- Micro + सफेद रंग मे प्रिन्ट किया हुआ है तथा इसके दोनो बैण्ड बटन के पीछे सफेद स्याही से अंग्रेजी HW लिखा हुआ है। उसका धोवन लेने हेतु ट्रैप बाक्स से एक अन्य साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकालकर उसे साफ पानी एवं से धुलवाकर साफ करवाया गया तथा उक्त गिलास में साफ पानी भरकर उनमें श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि. 50 से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। ट्रेप बॉक्स से साफ रूई का फौवा लेकर उसे उक्त गिलास के घोल मे डुबोकर हाजरीन को दिखाया गया तो गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात उक्त गीले रूई के फौवे को वॉकी–टॉकी जिस पर अंग्रेजी मे THINUX ऊपर की तरफ एवं नीचे की तरफ TP- Micro + सफेद रंग मे प्रिन्ट किया हुआ है, उस तरफ फिराया गया तो गीले रूई के फौवे का रंग गुलाबी हो गया। जिसे पुनः गिलास के घोल मे डूबोकर उसका धोवन करवाया गया तो गिलास के घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिससे हाजरीन ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क VT-1, VT-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा धोवन हेतु काम मे लिये उक्त प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया।

तत्पश्चात ट्रैप बाक्स से एक अन्य साफ प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकालकर उसे साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाया गया तथा उक्त गिलास में साफ पानी भरकर उनमें श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि. 50 से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर की डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। आरोपी श्री रामवतार शर्मा द्वारा चारपाई की बैडसीट रंग लाल प्रिन्टेड पर जहाँ रिश्वत राशि रखी गई थी, बैडसीट के उस स्थान को उक्त घोल के गिलास मे डुबोकर उसका धोवन करवाया गया तो गिलास के घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिससे हाजरीन ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क BS-1, BS-2 अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया तथा धोवन हेतु काम मे लिये उक्त प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया। बरामदशुदा वॉकी–टॉकी, बैडसीट एवं रूई के फौवे को जब्ती हेतु सुरक्षित ट्रेप बॉक्स मे रखा गया।

आरोपी से परिवादी के दोस्त श्री सुरेश कुमार यादव के केन्द्रीय कारागाह अलवर मे बंद होने बाबत रिकॉर्ड के बारे मे पूछा गया तो उसने उक्त रिकॉर्ड अधीक्षक, केन्द्रीय कारागाह अलवर के कार्यालय मे होने बाबत बताया। इस बाबत अधीक्षक, केन्द्रीय कारागाह अलवर के नाम तहरीर जारी कर श्री भौंरे लाल हैड कानि. को सुपुर्द कर वांछित सूचना एवं रिकॉर्ड लाने हेतु निर्देशित किया गया तथा घटना स्थल पर जेल मे कैदियों व परिजनो का मुलाकात दिवस होने के कारण अत्यधिक भीड–भाड होने के कारण कार्यवाही करने हेतु उपयुक्त एवं सुविधाजनक स्थल नही होने के कारण जब्तशुदा धोवन के सील्डबंद सैम्पलों को सुरक्षित हालात मे ट्रेप बॉक्स मे रखकर समय 1.50 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय आरोपी श्री रामवतार शर्मा, मुख्य प्रहरी नं. 1514, दोनो गवाहान, ब्यूरो टीम के सदस्यो मे से श्री भौंरेलाल हैड कानि. 33, श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि. 50 को छोडकर शेष ब्यूरो टीम के सदस्यों को अपने हमराह लेकर गये वाहनों मे बैठाकर आरोपी श्री रामवतार शर्मा, मुख्य प्रहरी नं. 1514 केन्द्रीय करागाह अलवर के आवासीय राजकीय बैरिक/कोटडी नं. 6 से ब्यूरो चौकी अलवर जाने हेतु रवाना हुआ।

समय 2.00 पी.एम. पर ब्यूरो चौकी अलवर पहूंच कर श्री रामवतार शर्मा, मुख्य प्रहरी नं. 1514 केन्द्रीय करागाह अलवर, परिवादी, दोनो गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष मे बैठाकर अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। मौके पर जो बीस हजार रूपये की रिश्वत राशि बरामद हुई थी, उस रिश्वत राशि को गवाह श्री वैभव उपाध्याय के पास सुरक्षित रखवाया था, को गवाह श्री वैभव उपाध्याय से प्राप्त किया गया। बरामदशुदा राशि का विवरण फर्द मे अंकित करवाया जाकर उक्त बरामदशुदा बीस हजार रूपये को पीले रंग के कागज के लिफाफे मे रखकर उक्त लिफाफे पर मार्क TM अंकित कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर लिफाफे को सील्ड कर वजह सबूत कब्जे पुलिस लिया गया।

तत्पश्चात रिश्वत राशि पर रखे हुये मिले हुये काले रंग के वॉकी–टॉकी जिस पर अंग्रेजी मे THINUX ऊपर की तरफ एवं नीचे की तरफ TP- Micro + सफेद रंग मे प्रिन्ट किया हुआ है तथा इसके दोनो बैण्ड बटन के पीछे सफेद स्याही से अंग्रेजी HW लिखा हुआ है, पर सामने की साईड मे एक सफेद रंग की चिट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर चिट को चस्पा करके उक्त वॉकी–टॉकी को एक कपडे की थैली मे सुरक्षित रखकर सीलड मोहर कर उस पर मार्क VT अंकित किया जाकर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जे लिया गया।

इसी प्रकार उक्त वॉकी–टॉकी का धोवन लेने हेतु उपयोग लिये गये रूई के फौवे को सुखाकर उसे एक कपडे की थैली मे रखकर सीलड मोहर कर उस पर मार्क RF अंकित किया जाकर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जे लिया गया।

इसी प्रकार रिश्वत राशि बैड सीट लालरंग प्रिन्टेड के जिस स्थान से रिश्वत राशि बरामद हुई थी, उस स्थान पर काले रंग के स्केच पैन से गोला कर उस मे संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त बैडसीट को एक कपडे की थैली मे सुरक्षित रखकर सीलड मोहर कर उस पर मार्क BS अंकित किया जाकर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जे लिया गया।

परिवादी से पूर्व में प्राप्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो उसमे रिश्वत राशि लेन–देन के समय की वार्तालाप रिकॉर्ड होना पाई गई जिसकी अलग से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट एवं सी.डी. तैयार की जावेगी। परिवादी एवं आरोपी श्री रामवतार शर्मा, मुख्य प्रहरी नं. 1514 को अलग – अलग एवं एक साथ करके आपसी कोई रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया होने या कोई आपसी रंजिश होने के बारे में पूछा गया तो दोनो ने कोई आपसी रंजिश या रूपयो का पुराना उधार का लेन देन बकाया नही होने एवं कोई फीस इत्यादि बकाया नही होने बाबत बताया।

उक्त कार्यवाही के दौरान श्री भौरे लाल हैड कानि0 33 एवं श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50 ने समय 03.30 पी0एम0 पर केन्द्रीय कारागृह अलवर से बन्दी श्री सुरेश कुमार उर्फ पकोडिया पुत्र श्री जगमाल सिंह अहीर, उम्र 32 साल, निवासी रैवाना, थाना नीमराना, जिला अलवर (परिवाद श्री मनोज कुमार सैनी के दोस्त) से सम्बन्धित रिकार्ड अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह, अलवर के पत्रांक स्पेशल–1 दिनांक 14.10.2023 के संलग्न लाकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये, जिसे बाद अवलोकन संलग्न कार्यवाही किया गया।

दिनांक 14.10.2023 समय 05.15 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री वैभव उपाध्याय, वाणिज्यिक सहायक प्रथम एवं श्री मनोज कुमार, वाणिज्यिक सहायक द्वितीय, परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी एवं व ए0सी0बी0 स्टाफ सर्वश्री सुण्डाराम हैड कानि0, श्री भास्कर हैड कानि0, श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50 के घटना स्थल का नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु मय वाहन मय चालक के ब्यूरों कार्यालय अलवर से घटना स्थल केन्द्रीय कारागृह, अलवर के लिये रवाना हुआ तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्त/सीलडशुदा आर्टिकल्स, रिश्वती राशि एवं आरोपी श्री रामवतार शर्मा, मुख्य प्रहरी की निगरानी हेतु श्री भौरे लाल हैड कानि0 33, श्री हरीश चन्द कानि0 503, श्री महेश कुमार कानि0 462 को मामूर कर घटना स्थल पर जाकर नक्शा मौका तैयार कर शामिल किया गया। आरोपी से पुन पुछताछ कर पूछताछ नोट पृथक से तैयार कर बाद हस्ताक्षर संलग्न पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 10.00 पी0एम0 पर आरोपी श्री रामवतार शर्मा मुख्य प्रहरी नं. 1514 केन्द्रीय कारागाह अलवर द्वारा बहैसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपने पदीय कर्त्तव्यो मे भ्रष्टतम आचरण अपना कर परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी से केन्द्रीय कारागाह अलवर मे बंद कैदी श्री सुरेश कुमार यादव एवं उसके साथ बंद अन्य 06 कैदियों से उन्हे जेल के अन्दर परेशान नही करने की एवज मे दिनांक 13.10.2023 को रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन के दौरान 70 हजार रू. रिश्वत की मांग करना एवं अपनी उक्त मांग के क्रम मे आज दिनांक 14.10.2023 को 20 हजार रूपये रिश्वत के मांग कर ग्रहण करना एवं उक्त रिश्वती राशि आरोपी श्री रामवतार शर्मा मुख्य प्रहरी नं. 1514 के कमरे मे बिछी चारपाई पर बिछी बैडसीट से बरामद होने पर आरोपी श्री रामवतार शर्मा पुत्र स्व. श्री हजारी लाल शर्मा, उम्र 55 साल, निवासी ग्राम मालुताना, पुलिस थाना व तहसील थानागाजी जिला अलवर हाल मुख्य प्रहरी नं. 1514 केन्द्रीय कारागाह अलवर को जुर्म से आगाह कर हस्ब कायदा अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) मे जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

तत्पश्चात समय 11.00 पी0एम0 पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रामवतार शर्मा, मुख्य प्रहरी 1514, केन्द्रीय कारागृह, अलवर का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु मेडिकल ज्यूरिष्ठ/डयूटी डाक्टर, राजकीय राजीव गॉधी सामान्य चिकित्सालय अलवर के नाम एवं रात्रि सुरक्षार्थ पुलिस थाना शिवाजी पार्क की हवालात में बन्द करवाने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना शिवाजी पार्क अलवर के नाम क्रमशः पत्रांक स्पेशल 1 व 2 दिनांक ईमरोजा जारी कर पत्र श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50 को प्रदत्त कर आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने एवं बाद स्वास्थ्य परीक्षण रात्रि सुरक्षार्थ पुलिस थाना शिवाजी पार्क की हवालात में बन्द करवाने हेतु निर्देशित कर श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि0 50 को मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री रामवतार शर्मा एवं ए0सी0बी0 जाब्ता श्री सुण्डाराम हैड कानि0 के मय वाहन सरकारी मय चालक के राजकीय सामान्य चिकित्सालय अलवर/पुलिस थाना शिवाजी पार्क के लिये रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 11.15 पी0एम0 पर परिवादी एवं उक्त दोनो गवाहान की

मौजूदगी मे परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी एवं आरोपी श्री रामवतार शर्मा, मुख्य प्रहरी 1514, केन्द्रीय कारागृह, अलवर के मध्य दिनांक 13.10.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा उक्त वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी ने अपनी स्वयं की आवाज की एवं आरोपी श्री रामवतार शर्मा, मुख्य प्रहरी 1514 केन्द्रीय कारागृह, अलवर की आवाज की तथा अलवर जेल में बन्द अपने दोस्त श्री सुरेश कुमार यादव की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिपों से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः तीनों सीडीयों पर मार्क "ए–1", मार्क "ए–2" एवं मार्क "ए–3" अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क "ए–1" व मार्क "ए–2" को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क "ए–1" व मार्क "ए–2" अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क "ए–3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं सी.डी. मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने निर्देशन एवं मौजूगदी मे श्री महेश कुमार कानि. 462 से तैयार करवाई है। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB मे दिनांक 13.10.2023 को परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी व आरोपी श्री रामवतार शर्मा, मुख्य प्रहरी एवं जेल में बन्द परिवादी के दोस्त सुरेश कुमार के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ता रिकॉर्ड की हुई है। उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे, एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क S-1 अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छांट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती सीडी रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 14.10.2023 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

समय 07.00 ए0एम पर परिवादी एवं गवाहान की मौजूदगी मे परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी एवं आरोपी श्री रामवतार शर्मा, मुख्य प्रहरी 1514, केन्द्रीय कारागृह, अलवर के मध्य दिनांक 14.10.2023 को रिश्वत लेन–देन के समय हुई रूबरू वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा उक्त वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी ने अपनी स्वयं की आवाज की एवं आरोपी श्री रामवतार शर्मा, मुख्य प्रहरी 1514 केन्द्रीय कारागृह, अलवर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिपों से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की सीडी बनवाने हेतु तीन खाली सीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी–बारी से तीन सीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमशः तीनों सीडीयों पर मार्क "बी–1", मार्क "बी–2" एवं मार्क "बी–3" अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी के हस्ताक्षर करवाकर सीडी मार्क "बी–1" व मार्क "बी–2" को पृथक–पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपड़े की थैलीयों में पृथक–पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क "बी–1" व मार्क "बी–2" अंकित कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क "बी–3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं सी. डी. मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने निर्देशन एवं मौजूगदी मे श्री महेश कुमार कानि. 462 से तैयार करवाई है। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB मे दिनांक 14.10.2023 को परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी व आरोपी श्री रामवतार शर्मा, मुख्य प्रहरी के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय हुई रूबरू वार्ता रिकॉर्ड की हुई है। उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे, एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क S-2 अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रकिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ताओं की जो सीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट–छांट नही की गई है।

जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती सीडी रिश्वत लेन–देन वार्ता, दिनांक 15.10.2023 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

बाद कार्यवाही ट्रैप कार्यवाही के दौरान दिनांक 14.10.2023 एवं 15.10.2023 को उक्त ट्रैप कार्यवाही में जब्त किये गये समस्त आर्टीकल्स एवं रिश्वती राशि नम्बरी नोटों को सील्ड मुहर करने व फर्दात पर नमूनासील अंकित करने के लिए प्रयोग में ली गई, कार्यालय की नमूना ब्राससील नं. 47 पीतल को बाद कार्यवाही दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू श्री सुण्डाराम हैड कानि0 75, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर से तुडवाकर नष्ट करवाई गई। जिसकी फर्द नष्टीकरण नमूना ब्राससील नं. 47 पृथक से तैयार करवाई जाकर बाद सम्बन्धित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई एवं जब्त /सील्डशुदा समस्त आर्टिकल्स एवं सिल्डशुदा रिश्वती राशि को मालखाना प्रभारी श्री हरीश चन्द कानि0 503 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। परिवादी ढव ब्यूरो चौकी अलवर द्वितीय से आये जाप्ते सहित दोनो गवाहान को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया।

दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री रामवतार शर्मा मुख्य प्रहरी, केन्द्रीय कारागृह, अलवर एवं परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी द्वारा बताये गये तथ्यों एवं रिश्वत मांग सत्यापन एवं लेन–देन की वार्ताओं से उजागर हुए तथ्यों के आधार पर श्री सुमेर सिंह, जेलर केन्द्रीय कारागृह, अलवर की आपराधिक भूमिका भी संदिग्ध होना प्रतीत होती है, जिस बाबत कल दिनांक 14.10.2023 को श्री सुमेर सिंह, जेलर, केन्द्रीय कारागृह, अलवर के मोबाईल नं0 8432777788 पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा तलब करने हेतु कॉल की गई तो उक्त मोबाईल स्वीचऑफ पाया गया तथा गोपनीय रूप से मालूमात करवाने पर ज्ञात हुआ कि श्री सुमेर सिंह, जेलर ब्यूरों द्वारा केन्द्रीय कारागृह अलवर में की जा रही ट्रेप कार्यवाही के दौरान ही अचानक जेल परिसर, अलवर से कही बाहर चला गया। प्रकरण में श्री सुमेर सिंह, जेलर की संदिग्ध आपराधिक भूमिका अनुसंधान से स्पष्ट होगी।

अब तक सम्पन की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से आरोपी श्री रामवतार शर्मा मुख्य प्रहरी नं. 1514 केन्द्रीय कारागृह अलवर द्वारा बहैसियत लोक सेवक कार्यरत रहते हुये अपने पदीय कर्त्तव्यो मे भ्रष्टतम आचरण अपना कर परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी से केन्द्रीय कारागाह अलवर मे बंद कैदी परिवादी के दोस्त श्री सुरेश कुमार उर्फ पकोडिया पुत्र श्री जगमाल अहीर, निवासी रैवाना, तहसील व थाना नीमराणा, जिला अलवर एवं उसके साथ अलवर जेल की सेल में बंद अन्य 06 कैदियों से उन्हे जेल के अन्दर परेशान नही करने की एवज मे दिनांक 13.10.2023 को रिश्वत की मांग के गोपनीय सत्यापन के दौरान 70 हजार रू. रिश्वत की मांग अपने स्वयं के लिए एवं अपने उच्च अधिकारी श्री सुमेर सिंह जेलर के लिए करना एवं अपनी उक्त मांग के क्रम मे आज दिनांक 14.10.2023 को परिवादी श्री मनोज कुमार सैनी से 20 हजार रूपये रिश्वत के मांग कर ग्रहण करना एवं शेष रिश्वत राशि 50 हजार रू0 परिवादी से ऑन लाईन खाते में डलवाने के लिए सहमत होना तथा आरोपित श्री रामवतार द्वारा प्राप्त की गई उक्त रिश्वती राशि 20 हजार रू0 आरोपी श्री रामवतार शर्मा मुख्य प्रहरी नं. 1514 के कब्जे के कमरे मे बिछी चारपाई पर बिछी बैडसीट से बरामद होने से आरोपी श्री रामवतार शर्मा पुत्र स्व. श्री हजारी लाल शर्मा, उम्र 55 साल, निवासी ग्राम मालूताना, पुलिस थाना व तहसील थानागाजी जिला अलवर हाल मुख्य प्रहरी नं. 1514 केन्द्रीय कारागृह अलवर का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) मे प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री रामवतार शर्मा पुत्र स्व. श्री हजारी लाल शर्मा, उम्र 55 साल, निवासी ग्राम मालूताना, पुलिस थाना व तहसील थानागाजी जिला अलवर हाल मुख्य प्रहरी नं. 1514 केन्द्रीय कारागृह अलवर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(प्रेमचन्द)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अलवर प्रथम, अलवर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर-प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामवतार शर्मा पुत्र स्व. श्री हजारी लाल शर्मा, हाल मुख्य प्रहरी नं. 1514, केन्द्रीय कारागृह, जिला अलवर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 273/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

15/10/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 2934-2937 दिनांक 15.10.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. श्रीमान महानिदेशक एवं महानिरीक्षक महानिदेशालय, कारागार, राजस्थान जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर।

15/10/23

उप महानिरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।